उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 441 – का०वि०नी० एवं वे०प्र०–29/पाकालि /2015–16 काविनी/96 दिनांक 22 जून, 2015

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा,
केस्को, कानपुर।

विषयः– **कारपोरेशन में कार्यरत सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात नियमित सहायक अभियन्ता पद पर 03 वर्ष तक की सेवावधि पूर्ण होने के मध्य भारतीय इंजीनियरिंग सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक/पुलिस/विदेश/एलाइड सेवाओं के साथ-साथ राज्य स्तरीय सेवाओं में चयनित होने की दशा में उन्हें बाण्ड मनी से छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या–1935–काविनी/राविप–29/96 दिनांक 18.10.1996 एवं कारपोरेशनादेश संख्या–1065–काविनी/पाकालि–29/09–16काविनी/96 दिनांक 29.08.2009 द्वारा निर्गत आदेशों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश है कि कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 01.05.2015 को सम्पन्न 114 (13) बैठक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात नियमित सहायक अभियन्ता पद पर 03 वर्ष तक की सेवावधि पूर्ण होने के मध्य यदि उसका चयन भारत सरकार के संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य सरकार के उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा किसी पद पर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा स्वेच्छा से दिये गये त्याग पत्र को स्वीकृत करते समय उन्हें बाण्ड मनी जमा करने से छूट प्रदान कर दी जाये।

2. अतः भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

22/06/15

(बी० के० खरे)
अपर सचिव (प्रथम)

सं० 441– (I) काविनी एवं वे0प्र0–29 / पाकालि / 2015 – तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
4. अध्यक्ष, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर–I एवं II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

(क्रमशः.......2)

10. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, बी–17, जे0 रोड , महानगर, उ0प्र0 पा०का०लि0, लखनऊ।
13. समस्त अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
15. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
17. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
19. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 01.05.2015 को सम्पन्न 114(13) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।

आज्ञा से,

(श्याम नारायण)
अनु सचिव (का०वि०नी०)